<u>2022 का विधेयक सं.23</u>

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. 1992 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 6 का संशोधन.- श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम सं.8),की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो" को हटाया जायेगा।

____

उद्देश्यों और कारणों का कथन

श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम,1992 की धारा 6 इस अधिनियम के अधीन गठित श्री सांवलियाजी मन्दिर बोर्ड की संरचना के लिए उपबन्ध करती है। उक्त धारा की उप-धारा (3) यह कथित करती है कि कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र तब नहीं होगा यदि वह तदधीन उल्लिखित में से कोई भी निरर्हताएं रखता है। उक्त उप-धारा (3) के खण्ड (iv) में यह कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति अवयस्क हो या बहरा-गूँगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तो वह निरर्हित होगा।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी बनाम यूनियन आफ इण्डिया और अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि कुष्ठ रोग कोई संचारी रोग नहीं है और इस रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के कलंक या भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और राज्य सरकार को उन उपबंधों, जिनमें कुष्ठ रोग को कलंकित दिव्यांगता के रूप में माना गया है, के निरसन के संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में अवगत कराने हेतु निदिष्ट किया है। यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 13(2) यह उपबन्ध करती है कि दिव्यांगजन, जीवन के सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।

राज्य सरकार ने उपरोक्त निर्णय में दिए गए निदेशों तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति जो बहरा-गूँगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, को श्री सावंलियाजी मन्दिर बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए

निरर्हता के खण्ड को हटाने का विनिश्चय किया है। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शकुन्तला रावत,

प्रभारी मंत्री ।

श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 (1992 की अधिनियम सं.8) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

6. बोर्ड की संरचना.-(1) से (2) XX XX XX XX

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र तब नहीं होगा यदि-

(i) से (iii) XX XX XX XX XX

(iv) वह अवयस्क हो या बहरा-गूंगा हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या

(v) से (vii) XX XX XX XX

(4) से (5) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No.23 of 2022

(Authorised English Translation)

SHRI SANWALIAJI TEMPLE (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called Shri Sanwaliaji Temple (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 8 of 1992.- In clause (iv) of sub-section (3) of section 6 of Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992 (Act No. 8 of 1992), the existing expression "or a deaf-mute or suffering from leprosy" shall be deleted.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 6 of Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992 provides for the composition of Shri Sanwaliaji Temple Board constituted under the Act. Sub-section (3) of the said section states that a person shall not be eligible for nomination as the President or a member of the Board if he has any of the disqualifications mentioned thereunder. Clause (iv) of the said sub-section (3) says that the person shall be disqualified if he is a minor or a deaf-mute or suffering from leprosy.

It has been held by Hon'ble the Supreme Court of India in the case of Vidhi Centre for Legal policy v/s Union of India and others that Leprosy is not communicable disease and not to treat any person suffering from that disease with any kind of stigma or discrimination. The Supreme Court has directed the Union of India and State Government to apprise it about the steps taken with regard to the repeal of the provisions wherein Leprosy has been treated as stigmatic disability. Further, section 13(2) of the Rights of Persons with Disabilites Act, 2016 provides that the Appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law.

In the light of directions given in the above judgement and provisions contained in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the State Government has decided to remove the disqualification clause as to a person being deaf-mute or suffering from leprosy from becoming member or President of Shri Sanwaliaji Temple Board. Accordingly, section 6 of the Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शकुन्तला रावत,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM SHRI SANWALIAJI TEMPLE ACT, 1992

(Act No. 8 of 1992)

XX XX XX XX XX

6. Composition of the Board.- (1) to (2) xx xx

(3) A person shall not be eligible for appointment as the President or member of the Board if:-

(i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) he is a minor or a deaf-mute or suffering from leprosy, or

(v) to (vii) xx xx xx xx xx

(4) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

<u>Bill No. 23 of 2022</u>

SHRI SANWALIAJI TEMPLE (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Shakuntala Rawat, **Minister-Incharge**)

<u>2022 का विधेयक सं.23</u>

श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

श्री सांवलियाजी मन्दिर अधिनियम, 1992 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(शकुन्तला रावत, **प्रभारी मंत्री**)